UPAU010008172026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।

पीठासीन अधिकारी– विकास गोस्वामी (एच 0 जे0 एस 0) JO Code UP 2393

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–301/2026

काजू पुत्र वकील मोहम्मद उर्फ टिल्ले खाँ,
निवासी जगन्नाथपुर, थाना अजीतमल, जिला औरैया।

.... **प्रार्थी/अभियुक्त।**

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.... **अभियोजन पक्ष।**

विशेष सत्र वाद संख्या–75/2026
मुकदमा अपराध संख्या 06/2026
धारा–75, 115(2),352,351(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023
व धारा 3(1)द, ध, 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
थाना–अजीतमल, जिला औरैया।

दिनांक 18.03.2026

01. अभियुक्त काजू की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त अभियुक्त विशेष सत्र वाद संख्या–75/2026, संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 06/2026, धारा– 75, 115(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3(1)द, ध, 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना–अजीतमल, जिला औरैया से संबंधित है तथा न्यायिक अभिरक्षा में है।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा प्रीती ने इन तथ्यों से युक्त तहरीर थाना अजीतमल में दिया कि प्रार्थिनी श्रीमती प्रीती पुत्री राजेश कुमार नि० ग्राम जगन्नाथपुर थाना अजीतमल जि० औरैया कि निवासिनी है। दिनांक 02.01.2026 को समय करीब 10.00 बजे रात्रि को प्रार्थिनी अपने घर से कुछ दूर बनी अपने शौचालय में शौच क्रिया करने गई हुई थी कि तभी पहले से घात लगाये बैठा विपक्षी काजू पुत्र टिल्ले खाँ नि० जनगन्नाथपुर प्लाट पर पीछे से आया और विपक्षी ने प्रार्थिनी को पीछे से बुरी नियत से पकडकर मुँह दबा लिया और प्रार्थिनी के साथ बुरी नियत से छेडखानी करने लगा और खींचकर एकान्त में ले जाने लगा, प्रार्थिनी किसी तरह से अपने आपको बचाते हुए चीखने चिल्लाने लगी तो विपक्षी प्रार्थिनी का गला दबाते हुए माँ

Digitally signed by VIKAS GOSWAMI
Date: 2026.03.18 14:42:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बहिन की भद्दी–2 गाली गलौज कर जान से मार देने की धमकी देते हुए भाग गया। प्रार्थिनी के चीखने चिल्लाने पर पडोसी लोग आ गये, तब तक विपक्षी भाग गया, तब प्रार्थिनी के परिवारीजनो ने 112 पर फोन कर पुलिस बुलाई पुलिस ने थाने जाने को कहा प्रार्थिनी अपने परिजनो के साथ थाने आई है।

03. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपने जमानत प्रार्थना पत्र में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त मामले में निर्दोष है और मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अंकित करायी गयी है, देरी का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जनता का कोई स्वतन्त्र व निष्पक्ष साक्षी न होना प्रथम सूचना रिपोर्ट को संदेहास्पद बनाता है। सत्यता यह है कि वादिनी के परिवारीजन प्रार्थी के दरवाजे पर जुआ खेल रहे थे, जब विरोध किया तो वादिनी के परिवारीजन ने वादिनी से मिलकर झूठा मुकदमा लिखवा दिया। वादिनी मुकदमा को जो भी चोटें आयी है वह साधारण प्रकृति की है। प्रार्थी पर आरोपित एस०सी०/एस०टी एक्ट की धारा को छोड़कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय है। प्रार्थी के द्वारा वादिनी के साथ जाति सूचक गाली गलौज मारपीट नहीं की है। प्रार्थी ने अपना जमानत प्रा०पत्र सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी०बी०आई० में दिये गये प्रावधानो के अनुसार प्रस्तुत किया है। प्रार्थी अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा नियमित तारीखो पर हाजिर अदालत आते रहेगा। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

04. जमानत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

05. प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी मुकदमा पर धारा 15 ए की उपधारा 3 के अन्तर्गत जारी नोटिस तामील है।

06. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया गया है तथा अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया है।

07. पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अभियुक्त पर आरोपित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध के अतिरिक्त अन्य अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। अपराध सात वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंतरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी०बी०आई० SLP (Cr. Appeal NO. 5190/2021) निर्णीत दिनांकित 11.07.2022** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त काजू की तरफ से विशेष सत्र वाद संख्या–75/2026, संबंधित मुकदमा

अपराध संख्या 06/2026, धारा– 75, 115(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3(1)द, ध, 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना–अजीतमल, जिला औरैया में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 301/2026 स्वीकार किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025: AHC: 136034 में पारित निर्णय दिनांकित 12.08.2025** में वर्णित निर्देशों के आलोक में प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 18.03.2026

(विकास गोस्वामी)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।
JO Code UP 2393